हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/01/26 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 30/01/26 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर 30/01/26 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी वकील एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। वादपत्र एवं जवाब पैरोकार सरकार, रिपोर्ट PO का अवलोकन किया। अतः वादी प्रार्थी वकील एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर वादी वाद इन्द्राज दुरुस्ती एवं [illegible] काबिल मंजूर नहीं होने से खारिज किया जाता है। किस्मत [illegible] ध्यान पूर्वक से टंकित करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कैफियत शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 30/1/26	

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH: 01420-226487 E-Mail: sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या 100 / 2022 (नया),02 / 2013, 215 / 98 (पुराना)
प्रकरण दायर दिनांक 07.02.2022
प्रकरण निर्णय दिनांक 30.01.2026

उनवान

1. रामजीलाल आयु 69 वर्ष पुत्र भोलू जाति गुर्जर निवासी दुब्बी तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा
2. सहायक भू प्रबंध अधिकारी, अलवर वास्ते सेटलमेन्ट कार्य बसवा

वादी द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण जर्ये वकील श्री के.कमल सिंह व जगदेव कसाना के इस आशय से पेश किया है वादी रिटायर्ड फौजी है तथा सिग्नल कोपर्स से हवलदार के पद से सेवानिवृत हुआ तथा वादी के फौज से सेवानिवृत होने के कारण उसे प्रतिवादी संख्या एक ने दिनांक 04.07.1971 को भूमि खसरा नंबर 304 / 588 रकबा 10 बीघा ग्राम दुब्बी तहसील बसवा में अलाटमेन्ट किया जिस पर वादी तबसे ही आज दिन तक लगातार काबिज होकर मुस्तफीद होता चला आ रहा है तथा सरकारी लगान अदा करता चला आ रहा है तथा वादी ने अपनी उक्त भूमि को सिंचित करने हेतु उसमे पुख्ता चाह का निर्माण किया है तथा उपरोक्त वर्णित भूमि जो बवक्त अलॉटमेन्ट उबड खाबड थी तथा जिसमें नले पडे हुये थे को लाखो रूपये का भारी लागत लगाकर समतल कराकर उसको चाही एवं उपजाउ बनाया तथा कुछ हिस्सा में अमरूद, अनार नीबू, बील, वगैरहा का बाडा लगाया जो अब भी मौजूद है तथा वादी बाकी भूमि में काश्त करके मुस्तफीद होता चला आता है उक्त सेटलमेन्ट से पूर्व ग्राम दुब्बी में जमाबंदी नहीं बनाये जाने से नकल गिरदावरी पेश है। गत वर्षो में बसवा तहसील में चले सेटलमेन्ट कार्यक्रम के दौरान प्रतिवादी संख्या दो ने अदम जानकारी अदम सूचना कतई पोशीदा तौर पर बिना अधिकार गैर कानूनी तौर तरीके से उक्त भूमि खसरा नंबर 304 / 588 के स्थान पर नए भूमि खसरा नंबर 455 लगायत 459 दर्ज करके नक्शा शीट तरमीम कर दी तथा उक्त भूमि खसरा नंबर 455 लगायत 459 को अवैध रूप चारागाह भूमि दर्ज कर दिया तथा मौके का ना तो सर्वे किया ना ही मौके पर जाकर जॉच की जिसकी वजह से वादी की कब्जे काश्त की भूमि जो खसरा नंबर 304 / 588 है तथा जहॉ वादी के चाही खेत फलो के बगीचे इत्यादि स्थित है के खसरा नंबर 455 लगायत 459 दर्ज करके चारागाह भूमि कर दिया जिससे वादी के अधिकारों पर गंभीर कुठाराघात हुआ है। वादी को बाद गुजरने मयाद दस वर्ष उक्त भूमि पर हकूक खातेदारी हासिल हो चुके है लेकिन फिर भी वादी को अब भी गैर खातेदार ही दर्ज कर रखा है। वादी को बिना सुनवायी का अवसर दिये तथा प्रतिपक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये तथा उसे बिना कोई पूर्व में नोटिस दिये वादी के अधिकारो पर गंभीर कुठाराघात करके उक्त एव नक्शा शीट मौके की स्थिति के विपरीत बना दी जिससे वादी के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तथा नैसर्गिक न्यायिक

सिद्धान्तो का उल्लंघन हुआ है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें कि यह है कि वादी को खतौनी संख्या 194 नई 193 पुरानी खसरा नंबर 448 रकबा 0.01 गैर मुमकिन चाह, 449 रकबा 2.52 बारानी अ तथा खतौनी संख्या 201 नई तथा 212 पुरानी के खसरा नंबर 455, 456, 457, 458, 459 रामा दुब्बी तहसील बसवा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि की जमाबंदी संवत् 2052 लगायत 2055 तथा नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किया जाकर तथा उसमे दर्ज इन्द्राजात को दुरूस्त किया जाकर वादी के हक में दर्ज रिकॉर्ड करायी जावे तथा इसी अनुसार अभिलेख तैयार कराया जावें। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें तथा अन्य दादरसी जो करीने इन्साफ व मुफीदे वादी हो बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण और अता फरमायी जावें।

वादी वाद दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस/सम्मन विधिवत की गयी। पैरोकार सरकार द्वारा दिनांक 21.03.2002 को जबाब दावा पेश किया कि बिन्दु संख्या 01 आंशिक स्वीकार है। आराजी खसरा नंबर 304/588 रकबा 10 बीघा रामा दुब्बी वादी की खातेदारी मे होना व कब्जा काश्त होना स्वीकार है। शेष तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 02 अस्वीकार है। भूमि आराजी खसरा नंबर 304/588 रकबा 10 बीघा के स्थान पर भू प्रबंध विभाग द्वारा मौके पर सर्वे कर नियमानुसार बाद जॉच व सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुये आराजी खसरा नंबर 448 व 449 किता 2 रकबा 2.53 हैक्टयेर बनाये गये है। आराजी खसरा नंबर 455 लगायत 459 साबिक खसरा नंबर 304/2 मी. के बनाये गये है। खसरा नंबर 304/1 पूर्व मे चारागाह दर्ज है जिसका नवीन नंबर भी चारागाह दर्ज किये गये है। भू प्रबंध विभाग द्वारा कोई त्रुटि नही की गयी है। न्यायालय अति. जिला दौसा के यहाँ प्रस्तुत अपील धारा 91 आर.एल.आर.ए. के निर्णय के विरूद्ध की गयी है जिसमे श्रीमान के न्यायालय में विचाराधीन दुरूस्ती वाद का आधार लिया गया है। बिन्दु संख्या 03 अस्वीकार है। भू प्रबंध विभाग द्वारा भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान नियमानुसार मौके पर सर्वे करने के उपरांत कच्चे पर्चे जारी किये जाते है जिसमे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार पक्के पर्चे जारी किये जाते है। अतः यह कथन अस्वीकार है कि वादी को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। अभिलेख नियमानुसार बाद जॉच व विधिवत तैयार किया गया है। बिन्दु संख्या 04, 05 कानूनी है बिन्दु संख्या 06 अस्वीकार है। वादी को भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान विधिवत कच्चे पर्चे व पक्के पर्चे प्राप्त होने के बाद अब दावा मियाद बाह पेश किया है जो चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावें। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि आराजी खसरा नंबर 455 से 459 ग्राम दुब्बी राजकीय चारागाह भूमि है जिससे वादी का कोई सरोकार नहीं है। अतिक्रमी होने से वादी कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद देरीना पेश होने से मियाद बाहर है। राज्य सरकार के विरूद्ध दावा लाने से पूर्व नियमानुसार धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना लाजिमी है जिसे नहीं दिये जाने से दावा चलने योग्य नहीं है। अतः वाद वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावें व खर्चा राज्य कोष में जमा कराया जायें। उप तहसीलदार बडियाल कलां, पटवारी नांगलझामरवाडा व भू.अ.नि. बिवाई की रिपोर्ट दिनांक 04.07.2025 के अनुसार प्रार्थी द्वारा वाद पत्र में अंकित किया गया है कि प्रार्थी सेवानिवृत भारतीय फौज

से है। प्रार्थी को ग्राम दुब्बी में दिनांक 04.07.1971 को साबिक खसरा नंबर 304/588 रकबा 10 बीघा भूमि आवंटित हुई थी जिसमे भू प्रबंध विभाग द्वारा सर्वे कर नियमानुसार बाद जाँच व सुनवाई का पूर्व अवसर प्रदान करते हुये नवीन खसरा नंबर 448 व 449 किता 02 रकबा 2.53 हैक्टेयर बनाया गया है मौके पर उक्त खसरा नंबर पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। तथा कुछ भूमि मौके पर पडत व बंजड है। पत्रावली में संलग्न मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक खसरा नंबर 304/1 मि. नंबर से नवीन खसरा नंबर 455, 456, 457, 458, 459 किता 5 रकबा 2.55 हैक्टेयर अन्य खसरा नम्बरान के साथ बनाये गये है। हाल खसरा नंबर 455, 456, 457,458, 459 चारागाह खाते में दर्ज है तथा उक्त खसरा नंबर के साबिक खसरा नंबर 304/1 पूर्व में चारागाह दर्ज है । हाल जमाबंदी अनुसार खसरा नंबर 448, 449 किता 2 रकबा 2.53 हैक्टेयर खाता संख्या 157 रामजीलाल पुत्र भोलू हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर सा.देह खातेदार साहिन (पूर्ण खाता) केनरा बैंक शाखा बांदीकुई के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी खसरा नंबर 455 लगायत 459 ग्राम दुब्बी राजकीय चारागाह भूमि है जिसमे वादी का कोई सरोकार नहीं है। उक्त चारागाह भूमि पर अतिक्रमी होने से वादी कोई अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं मौका अनुसार प्रार्थी की शुद्धि किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी का दावा चलने योग्य नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाना उचित बताया गया।

वादी वकील एवं पैरोकार सरकार द्वारा मूल दावे पर बहस की गयी। हमने वादी वकील एवं पैरोकार सरकार बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 455 लगायत 459 ग्राम दुब्बी की किस्म राजकीय चारागाह है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार चारागाह आदि प्रतिबंधित भूमियों पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते। वादीगण को वादग्रस्त भूमि मे कोई अधिकार सृजित नहीं होते है तथा सरकारी चारागाह की भूमि का निजि खातेदारी की घोषणा का वाद कानूनन नहीं लाया जा सकता है तथा वादपत्र में वांछित अनुतोष विधि विरुद्ध है साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत दावा मयाद बहार है। इसलिये वाद चलने योग्य नहीं है।

हमने वादी वकील एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। अतः वकील वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व संलग्न दस्तावेज एवं पैरोकार सरकार/तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट/जवाब का अवलोकन करने के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दावा इन्द्राज दुरूस्ती अधिघोषणा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को खुले न्यायालय में लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

30/1/26

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई